अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 86 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	22584,19,00				
				22594,20,00	21144,05,97	-1450,14,03
पूरक	Supplementary	10,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					978,81,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*5,00,00*	*36,69*	*-4,63,31*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	369171,14,00				
				409981,88,00	407850,66,51	-2131,21,49
पूरक	Supplementary	40810,74,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					240,66,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹145014.03 लाख) दिसम्बर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1001.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत था।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹145014.03 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1001.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services		16323.00	14732.74	-1590.26
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges		531820.00	529127.00	-2693.00
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	67600.00			
पू.	S.	1000.00	42300.00	39756.23	-2543.77
पु.	R.	-26300.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1609542.00			
			1499882.00	1460039.00	-39843.00
पु.	R.	-109660.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	33134.00			
पू.	S.	1.00	71214.00	70751.00	-463.00
पु.	R.	38079.00			

(I) ₹4007.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :—

(I) Provision of ₹4007.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3055" — "अनुसंधान — केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड" — ₹550.00 लाख — अध्यक्ष और सदस्य का चयन न किए जाने के कारण।

(A) Major Head "3055" - "Research - National Road Safety Board financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹550.00 lakhs - due to non-selection of Chairman and Member.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" — "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान — केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान — दिल्ली में सड़क" — ₹3457.00 लाख — चल रहे कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

(B) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Roads in Delhi" - ₹3457.00 lakhs - due to slow progress of ongoing works.

(II) मुख्य शीर्ष "3055" के तहत — "अनुसंधान — सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना" — ₹2000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3000.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो तथापि, सार्वजनिक परिवहन के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹672.11 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3055" - "Research - Scheme for Safety of Women on Public Road Transport" - the original provision of ₹2000.00 lakhs was augmented to ₹3000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹672.11 lakhs due to non-receipt of proposals from States for Public Transport.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के तहत — "सचिवालय — सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" — ₹1590.26 लाख की बचत (₹16323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावे प्राप्त होने, कार्यालय भवन का स्थान्तरण न होने तथा वीडियो कान्फ्रेंस के कारण कम बैठक आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of ₹1590.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16323.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards Advertising and Publicity, non-shifting of office building and conduction of less meetings owing to video conferences.

(IV) मुख्य शीर्ष "3054" के तहत — "सामान्य — अनुसंधान और विकास — राजमार्ग अनुसंधान — केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से वित्त पोषण" — ₹2048.96 लाख की बचत (₹7900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकारी एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3054" - "General - Research and Development - Highway Research - funding from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹2048.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from executing agencies.

(V) मुख्य शीर्ष "3055" — के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :—

(V) Under Major Head "3055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान" –

(क) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से सड़क सुरक्षा वित्तपोषित" – ₹12082.71 लाख की बचत (₹18950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऑनलाइन पोर्टल के प्रचार और संवर्द्धन के लिए सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क" – ₹2332.17 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धन के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित होने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण और रखरखाव केंद्र" – ₹1839.68 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिचालन/निष्पादन एजेंसियों द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से हस्तांतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के हस्तांतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹12900.00 लाख की बचत (₹32800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तहत कम उपयोग के कारण कम अंतः लेखा अंतरण के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – राज्य सड़कों के लिए अनुदान" – ₹94673.00 लाख की बचत (₹804771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(A) "Research" -

(a) "Road Safety financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹12082.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18950.00 lakhs) was due to extensive use of social media for publicity and enhancement of online portal.

(b) "National Data Base Network financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹2332.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to pending finalization of Central Nodal Agency under the revised procedure of flow of funds and delay in submission of reports.

(c) "Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1839.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to less demand by the operating/executing agencies.

(B) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹12900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32800.00 lakhs) was due to less inter account transfer owing to less utilization under the scheme.

(VI) Under Major Head "3601" - "Other Transfers/Grants to States" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Grants for State Roads" - saving of ₹94673.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹804771.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and slow progress of on-going works.

(खा) "आरक्षित निधि / जमा खाते को / से हस्तांतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में हस्तांतरण के लिए ब्लॉक अनुदान" – ₹54830.00 लाख की बचत (₹804771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कम फंड के हस्तांतरण के कारण हुई थी।

2. उपरोक्त बचतों का आंशिक रूप से (₹43720.00 लाख) उपयोग प्रावधान में वृद्धि के लिए किया गया जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(I) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण" – ₹2500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1532.90 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अन्य हस्तांतरण / अनुदान" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत :–

(का) "केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से अनुदान – जम्मू और कश्मीर में सड़कें" – ₹22180.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22179.50 लाख था।

(खा) "आरक्षित निधि / जमा खाते को / से हस्तांतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में हस्तांतरण के लिए ब्लॉक अनुदान" – ₹19040.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹19039.50 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत *₹463.31 लाख* की बचत हुई, जो स्वीकृत *विनियोग* का 93 प्रतिशत है।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत बचतें / अधिक व्यय हुई / हुआ :–

(B) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹54830.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹804771.00 lakhs) was due to less transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund.

2. The above savings were partly (₹43720.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1001.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "3055" - "Research - Improving and Strengthening of Public Transport System financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1532.90 lakhs.

(II) Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures" - under the following heads:-

(A) "Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Roads in Jammu and Kashmir" - ₹22180.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22179.50 lakhs.

(B) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹19040.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19039.50 lakhs.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, under one head saving of *₹463.31 lakhs* occurred constituting 93 percent of the sanctioned *appropriation.*

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1056500.00			
पू.	S.	294001.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-1350500.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	35855014.00			
पू.	S.	3787073.00	40974121.00	40785066.51	-189054.49
पु.	R.	1332034.00			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	5600.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5600.00			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹1356663.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹294001.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1356662.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :–

(का) मुख्य शीर्ष "4552" –

(क) "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और पुल) – सड़क निर्माण – सड़क विंग और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सड़क विकास कार्य राष्ट्रीय निवेश

(I) Provision of ₹1356663.00 lakhs (including supplementary grant of ₹294001.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹1356662.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" -

(a) "National Highways (Roads & Bridges) - Road Works - Road Development Works under Roads Wing and Border Road

कोष से वित्तपोषित" – ₹868500.00 लाख (₹294000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(ख) "राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹482000.00 लाख।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण उपरोक्त दो शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – स्थायी पुल – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" – ₹562.00 लाख – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) योजना के विलय के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "5055" –

(क) "कार्यशाला सुविधाएं – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण और रखरखाव केंद्र" – ₹2800.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण;

(ख) "आरक्षित निधि/जमा खाते को/से हस्तांतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में हस्तांतरण के लिए ब्लॉक अनुदान" – ₹2800.00 लाख – योजना के तहत कम उपयोग के कारण कम अंतर खाता हस्तांतरण के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के तहत अप्रयुक्त रहा, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है :–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" –

Development Board financed from National Investment Fund" - ₹868500.00 lakhs (including supplementary grant of ₹294000.00 lakhs); and

(b) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹482000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5054" - "National Highways - Permanent Bridges - Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - ₹562.00 lakhs - due to merging of the scheme Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) under National Highways Authority of India (NHAI).

(C) Major Head "5055" -

(a) "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2800.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(b) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit Account - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2800.00 lakhs - due to less inter account transfer owing to less utilization under the scheme.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "5054" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "National Highways - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Highways

दिसंबर, 2022 में ₹758500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹13401500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹14160000.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसियों की कार्यात्मकता का विलंब से कार्यान्वयन होने की वजह से निधियों का उपयोग न करने के कारण ₹25991.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा खातों को/से हस्तांतरण – राष्ट्रीय निवेश कोष में हस्तांतरण" – दिसंबर, 2022 में ₹294000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1056500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1350500.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹284133.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) मुख्य शीर्ष "5054" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "सड़क निर्माण" –

(i) "सड़क विंग के तहत कार्य" – ₹387631.27 लाख की बचत (₹630686.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से वित्तपोषित बिना विधानमंडल वाली केंद्र शासित प्रदेश सरकारें" – ₹24682.00 लाख की बचत (₹34638.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति के कारण लद्दाख में सड़कों के निर्माण के लिए कम धन की आवश्यकता के

Authority of India" - the original provision of ₹13401500.00 lakhs was augmented to ₹14160000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹758500.00 lakhs in December, 2022, which however, remained unutilized to the extent of ₹25991.63 lakhs - due to non-utilization of funds by National Highways Authority of India owing to late implementation of Central Nodal Agencies functionality.

(B) "General - Transfers to/from Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to National Investment Fund" - the original provision of ₹1056500.00 lakhs was augmented to ₹1350500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹294000.00 lakhs in December, 2022, which however, remained unutilized to the extent of ₹284133.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Road Works" -

(i) "Works under Roads Wing" - saving of ₹387631.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹630686.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow progress of ongoing works.

(ii) "Union Territory Governments without legislatures financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹24682.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34638.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of roads in

कारण हुई थी।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य – जनजातीय उप योजना – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से वित्तपोषित" – ₹20110.64 लाख की बचत (₹357500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रही परियोजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा खाते में हस्तांतरण – राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के लिए हस्तांतरण" – ₹1000000.00 लाख की बचत (₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई थी।

5.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹1698163.00 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत – मुख्य शीर्ष "5054" के तहत – दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹3787073.00 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "सड़क निर्माण" –

(i) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य" – ₹386009.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹230840.36 लाख था।

(ii) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाएं" – ₹10350.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8584.52 लाख था।

Ladakh owing to slow progress of ongoing works.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - National Highways Original Works - Tribal Sub Plan - financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹20110.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹357500.00 lakhs) was due to slow progress of works in ongoing projects.

(B) "General - Transfers to Reserve Funds/Deposit A/c - Transfer to Monetization of National Highways fund" - saving of ₹1000000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000000.00 lakhs) was due to receipt of less funds from Monetization of National Highways.

5.(I) The above savings were partly (₹1698163.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹3787073.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "5054" - under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Road Works" -

(i) "National Highways Original Works" - ₹386009.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹230840.36 lakhs.

(ii) "Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹10350.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8584.52 lakhs.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(i) "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी (एनएच और राज्य सड़कें) के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम" – ₹12000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11044.26 लाख था।

(ii) "भारतमाला परियोजना–रोड विंग/राज्य पीडब्ल्यूडी/एनएचआईडीसीए/बीआरओ के तहत जनजातीय उप योजना कार्य – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से वित्तपोषित" – ₹6554.00 लाख।

(ग) "आरक्षित निधि/जमा खातों को/से हस्तांतरण – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि में हस्तांतरण के लिए ब्लॉक अनुदान" – ₹1000000.00 लाख।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से हस्तांतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि" – ₹283250.00 लाख।

(II) बचत की भरपाई भी मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क कार्य" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय से की गई :–

(का) "उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹280500.00 लाख (शून्य प्रावधान की तुलना में) का अधिक व्यय; और

(खा) "उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹1065316.91 लाख (शून्य प्रावधान की तुलना में) का अधिक व्यय हुआ।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas" - ₹12000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11044.26 lakhs.

(ii) "Bharatmala Priyojana - Tribal Sub Plan works under Road Wing/State PWDs/NHIDCL/BRO - financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹6554.00 lakhs.

(c) "Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹1000000.00 lakhs.

(B) "General - Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/c - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹283250.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works" - under the following heads:-

(A) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - excess of ₹280500.00 lakhs (against Nil provision); and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - excess of ₹1065316.91 lakhs (against Nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

6. केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (तत्कालीन केंद्रीय सड़क निधि) :–

इस निधि का वित्तपोषण मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। वर्ष 2000–2001 के बजटीय प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर तथा 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/– रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है।

2018 में पारित केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अधिनियम के अनुसरण में अतिरिक्त राशि केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरित की गई है और इस निधि के संकल्प के अनुसरण में संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास व अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को इस निधि से राशि जारी की जाती है।

वर्ष 2022–2023 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :–

6. Central Road and Infrastructure Fund (erstwhile Central Road Fund) :-

The Fund is financed from part of the proceeds (3.5 paise per litre) of the Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of Grants voted by Parliament. As per the budgetary provision of F.Y. 2000-2001, an additional tax of Re. 1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads.

This additional fund is transferred to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) in accordance with Central Road and Infrastructure Fund Act passed in 2018 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of Grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2022-2023 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	28342,30,67
प्राप्तियां	Receipts	239646,24,26
अदायगियां	Payments	236600,44,55
अंतशेष	Closing Balance	31388,10,38

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि :–

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built

लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को हस्तांतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

वर्ष 2022–2023 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :–

and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

The Account of the Fund for 2022-2023 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	302,22,32
प्राप्तियां	Receipts	18005,62,00
अदायगियां	Payments	17981,59,62
अंतशेष	Closing Balance	326,24,70